जावक क्र. 1122/25

दि. 28/11/25

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन पत्र संशोधित

समिति का पंजीयन क्र. 10293

समिति का पंजीयन दि. 26/03/01

संशोधन लाइनी बदलाव के विभाग 24/11/2025

असि. रजिस्ट्रार

| | |
|---|---|
| 1. | सोसायटी का नाम Prathvipath Foundation होगा। |
| 2. | सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) 916/1 वार्ड न. 22, इंद्रा कालोनी, पुलिस लाइन बदलाव के बाद टीकमगढ़ म.प्र. पिन कोड 472001 जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित होगा।<br>सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9993273475 ईमेल आईडी prathvipath@gmail.com |
| 3. | सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः |
| 1. | वृक्ष एवं वृक्षारोपण तथा जल स्त्रोतों के माध्यमों का संरक्षण एवं विकास करना एवं इस हेतु शिक्षा का विस्तार करना |
| 2. | समाज के प्रत्येक वर्ग में मौलिक एवं राजनैतिक मूल्यों के प्रति आम आदमी को जागरुक करना. |
| 3. | समाज कल्याण के उद्देश्य से जातिवाद की भावना को समाप्त करना और शैक्षिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना और विकास हेतु अग्रसर करना. |
| 4. | बालक वृद्ध एवं महिला कल्याण के लिए राज्य तथा केंद्र सरकारों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अतर्गत दी जा रही सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध कराना और परिवार कल्याण नियोजन की जानकारी प्रदान करना. |
| 5. | अनुसूचित जाती, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग व निर्धन शहरी एवं ग्रामीण युवकों, महिलाओं को जागरूकता शिविर के माध्यम से आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण देना समाज में निरक्षरता उन्मूलन हेतु महिलाओं, पुरुषों एवं कामकाजी बच्चों के लिए रात्रि पाठशाला तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करना एवं राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन करना. |
| 6. | गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए कार्य करना एवं प्रचार प्रसार करना, जनसँख्या नियोजन का कार्यक्रमों एवं जनसँख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों का प्रचार प्रसार करना छोटे परिवार स्वस्थ परिवार की अवधारणा को समाज को समझाना, लोक स्वास्थ्य के समस्त कार्यक्रम संचालित करना, बालवाडी केंद्र, शिशु पालन केंद्र, आंगनवाडी, अनाथालय, वृद्धाश्रम का संचालन करना एवं राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन कराना. |
| 7. | कुष्ट रोग, पोलियो, चेचक, फ्लैग, एड्स एवं मलेरिया रोगियों की खोज कर उपचार एवं पुनरवास हेतु कार्य करना एवं महामारिओं के उपचार हेतु टीकाकरण एवं शिविर आयोजित करना, नेत्रदान एवं रक्तदान हेतु प्रचार प्रसार कार्य करना, गन्दी बस्तियों में फैली संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए ग्रामीण एवं शहरी लोगों को जागरूक करना एवं निशुल्क दवायियां वितरित करना , फर्स्टएड के बारे में ट्रेनिंग कैंप चलाना एवं एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी व योगा के क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से एवं शिविर लगाकर जन जाग्रति लाना राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन कराना. |
| 8. | समस्त प्रकार की शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा (कॉलेज) विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा/सह चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, विकास एवं संचालन करना (शासन या संबंधित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कर) स्कूल गैर व्यवसायिक कॉलेज मदरसा की स्थापना करना एवं उन्हें सुचारु रूप से चलाना, शारीरिक शिक्षा खेल एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर प्रशिक्षण देना. राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन कराना. |
| 9. | साहित्य संगीत अन्य समस्त ललित कलाओं को प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन प्रदान करना एवं इनके सार्वजनिक प्रदर्शनों को आयोजित करना. |
| 10. | उपभोग्ताओं के हितों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों का प्रचार-प्रसार एवं उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में हरसंभव प्रयास करना. |
| | अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष |

Namrata Patel

Aarti

Renu Sowita

| | |
|---|---|
| | गौसेवा के लिए गौशाला की स्थापना एवं संचालन करना तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु उपाय करना. |
| 12. | बालिकाओं एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये कार्य करना. |
| 13. | महिलाओ में आर्थिक स्वावलंबन की भावना जागृत करना उन्हें स्वरोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना. |
| 14. | अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं मानसिक उत्थान के लिए कार्य करना. |
| 15. | समाज में सभी वर्गों की शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु महाविद्यालय जैसे चिकित्सा महाविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, भोज महाविद्यालय, नर्सिंग स्कूल एवं महा विद्यालयों कम्प्यूटर आइ.टी.आई. केन्द्रों की स्थापना करना. |
| 16. | परिवार से महिलाओं को न्याय दिलाना तथा उनकी पुनर्वास व्यवस्था करना. |
| 17. | बाढ़, भूकम्प, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कोई आकस्मिक आपदाओं से प्रभावित लोगो की मदद करना एवं उनके लिए मदद एकत्रित करके उन तक पहुंचाना एवं उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करना. |
| 18. | मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयास करना एवं निशुल्क कानूनी सलाह महिलाओं पर अत्याचार का विरोध, कुरीतियों को रोकना, जागरुकता के प्रयास व प्रचार प्रसार से समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो. समिति का पंजीयन क्र. 10292 |
| 19. | वर्तमान समय में व्याप्त भीषण घटक बीमारियों कैंसर, टी.बी., एड्स (एच. आई. वी.) बीमारी के संबंध में जनमानस में जागरुकता लाना एवं इनसे बचने के सम्पूर्ण उपायों को जन जन तक पहुंचाना तथा सामाजिक द्वारा इनके रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करना व अपनी ओर से रोगियों को अनुदान प्रदान करना. |
| 20. | नशा मुक्ति एवं विकलांग, निशक्त जनों के कल्याण हेतु कार्य करना. |
| 21. | योग पीठों की स्थापना कर योग के माध्यम से जन समुदाय में व्याप्त विभिन्न विकारों /बीमारियों का निदान करना और योग शिविरों का आयोजन कर, जन समुदाय में अधिक से अधिक मात्रा में स्वास्थ्य सबंधी लाभ, आध्यात्मिक प्रयोजनों के माध्यम से प्रदान करना. |
| 22. | कन्या भ्रूण हत्या रोकने में मदद करना तथा समाज में बालक-बालिकयों के अंतर को खत्म करने का प्रयास करना. |
| 23. | संस्था द्वारा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उत्तम तकनीकी शिक्षा, श्रेष्ठ महाविद्यालयीन चिकित्सा शिक्षा, खेल उन्नयन शिक्षा, समस्त प्रबंधकीय शिक्षा, औपचारिकेत्तर शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं महाविद्यालय शिक्षा आदि से संबंधित गतिविधियों का संचालन एवं केन्द्रों का संचालन करना, इस हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी खान-पान संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण एवं केन्द्रों का संचालन करना |
| 24. | बालक-बालिकाओं के शारीरक विकास हेतु बाल व्यायाम केंद्र मानसिक विकास हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालय, चारित्रिक विकास, आत्म निर्भर बनाने हेतु बाल प्रयोग शालाएं, जिज्ञासु व बुद्दि के विकास हेतु बाल कोतुकालय जीवन के प्रति कला एवं आनंद की ब्रधि तथा कोमल भाव के विकास हेतु बाल तथा अभिनव केन्द्रों तथा आत्मनुशाशन के विकास हेतु बाल योगाभ्यास केंद्र आदि की स्थापना एवं संचालन करना. |
| 25. | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना व शिविर के माध्यम से निशुल्क दवाओं का वितरण करना. |
| 26. | परिवार कल्याण, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय के प्रति जागरुकता पैदा करना. |
| 27. | अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में होम्योपैथी, एलोपैथी चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा हेतु पैरामेडिकल महाविद्यालय का संचालन करना. |
| 28. | सिलाई, बुनाई, कढाई एवं पेंटिंग कक्षाओं का संचालन करना. |
| 29. | बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के संरक्षण व उसके उपयोग में तेजी लाना. |
| | अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष |

Narmada Patel  Aarti  Renu Savita

| | |
|---|---|
| 30. | नारी सशक्तिकरण एवं बाल विकास, कन्या भ्रूण सुरक्षा, नारी शिक्षा, नारी स्वास्थ्य एवं नारी को आर्थिक व सामाजिक स्तर पर दृढ़ता प्रदान करने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ नारी तक पहुंचाना एवं नारी शिक्षा तथा रोजगार हेतु योजनाएं बनाकर उन पर कार्य करना एवं बालविकास से जुड़े हुए मुद्दे, जिनमें शिशु मृत्यु दर, शिशु स्वास्थ्य, बालश्रम, बालापराध जैसे ज्वलंत मुद्दों पर शासन का ध्यान आकर्षित करवाने हेतु कार्य करना एवं शासन की योजनाओं का लाभ सही जगह तक पहुंचाने में सहायता करना तथा शिशु एवं बालक बालिकाओं के कल्याणार्थ शैक्षणिक संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा एवं खेलों से सम्बंधित कार्यक्रम संचालित करना. |
| 31. | बाल मजदूरी व बाल अपराध के प्रति जनजागरण अभियान चलाना. |
| 32. | भूख निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देख-रेख और स्वच्छता का संवर्धन और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना; |
| 33. | शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषतः बालकों, स्त्रियों वयोवृद्धों अन्य रूप से समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाएं का संवर्धन; |
| 34. | लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन स्त्रियों और अनाथों के लिए गृहों और छात्रावासों का गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक केंद्रों का गठन और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना; |
| 35. | पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव-जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की क्वालिटी बनाए रखना |
| 36. | राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास; |
| 37. | सशस्त्र बलों के सेवानिवृत सैनिकों, योद्धाओं प्रभावी विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय; |
| 38. | ग्रामीण खेल-कूद राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल-कूद और ओलंपिक खेल-कूदों के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण देना; |
| 39. | ग्रामीण विकास की परियोजनाएं |
| 40. | क्लीन गंगा, क्लीन नदियां, क्लीन तालाब, क्लीन नहरें; (स्वच्छ गंगा, नदियाँ, तालाब, नहरें) |
| 41. | गंदी बस्तियों का स्वच्छता से विकास |
| 42. | नदियों, तालाबों, नहरों के दोनो तरफ वृक्षारोपण |
| 43. | क्षेत्रीय वृक्षों के पार्क, जड़ी-बूटी की प्रजातियों को बचाना, पर्यावरण संतुलन को सुनिश्चित करना एवं उनका संरक्षण, प्रचार-प्रसार कर जानकारी देना |
| 44. | वनों की देखरेख करना, वृक्षारोपण करना, पहाड़ों को बचाना, जल संरक्षण, कृषिभूमि उपजाठ बनाना, देशी बीज संरक्षण; |
| 45. | पॉलिथिन मुक्त भारत, स्वच्छता मिशन, कचरामुक्त भारत |
| 46. | ह्यूमन इम्यूनो-डिफीसिएन्सी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम और अन्य बीमरी से लडने की तैयारी; |
| 47. | वाटर हार्वेस्टिंग में लोगों को जागरूक करना व सोलर पैनल से लोगों को जागरूक करना |
| | अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष |

समिति का पंजीयन क्र. 10292

समिति का पंजीयन दि. 26/03/014

संशोधन नस्तीबद्ध कर दि. 24/11/023

सहा. रजिस्ट्रार

Namrata Patel

Aarti

Renu Savita

समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध "शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है:-

| क्रमांक | नाम | पिता/पति का नाम | पद | पूर्ण पता | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ऊषा देवी | पारीछत | अध्यक्ष | 208, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | गृहणी |
| 2. | कमला देवी | मोतीलाल | सचिव | 208, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | गृहणी |
| 3. | सीमादेवी | हरिशंकर अहिरवार | उपाध्यक्ष | 1, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | गृहणी |
| 4. | कंचनदेवी | मोतीलाल | कोषाध्यक्ष | 4, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | गृहणी |
| 5. | सविता | भागीरथ | संयुक्त सचिव | 2, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | गृहणी |
| 6. | सरोज बाई | बच्चू गांगी | सदस्य | 3, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | गृहणी |
| 7. | कस्तूरीबाई | कमलेश अहिरवार | सदस्य | 5, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | गृहणी |

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

समिति का पंजीयन क्र 10292
समिति का पंजीयन दि 26/03/2014
संशोधन अभिलेख का दि 24/11/2025

| क्रमांक | निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/पति का नाम सहित | |
|---|---|---|
| 1. | ऊषा देवी, पारीछत, 208, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | हस्ता/- |
| 2. | कमला देवी, मोतीलाल , 208, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | हस्ता/- |
| 3. | सीमादेवी, हरिशंकर अहिरवार, 1, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | हस्ता/- असि. रजिस्ट्रार |
| 4. | कंचनदेवी, मोतीलाल, 4, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | हस्ता/- |
| 5. | सविता, भागीरथ, 2, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | हस्ता/- |
| 6. | सरोज बाई, बच्चू गांगी, 3, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | हस्ता/- |
| 7. | कस्तूरीबाई, कमलेश अहिरवार, 5, ग्राम मडिया, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, Madhya Pradesh | हस्ता/- |

साक्षी :-
हस्ताक्षर :- सही/-
साक्षी का नाम:- रजा त्रिपाठी
साक्षी का पिता/ पति
पूर्ण पता :- टीकमगढ़

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Namrata Patel

Arti

Renu Savita
Adyong 28/11/25

अंकित आंजना
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ,
सागर संभाग, सागर

## नियमावली संशोधित

| | |
|---|---|
| 1. | सोसायटी का नाम Prathvipath Foundation होगा। |
| 2. | सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) 916/1 वार्ड न. 22, इंद्रा कालोनी, पुलिस लाइन पठला के पास टीकमगढ़ म.प्र. पिन कोड 472001 जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित होगा। |
| 3. | संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत होगा । |
| 4. | सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे: |
| 1. | वृक्ष एवं वृक्षारोपण तथा जल स्त्रोतों के माध्यमों का संरक्षण एवं विकास करना एवं इस हेतु शिक्षा का विस्तार करना |
| 2. | समाज के प्रत्येक वर्ग में मौलिक एवं राजनैतिक मूल्यों के प्रति आम आदमी को जागरुक करना. |
| 3. | समाज कल्याण के उद्देश्य से जातिवाद की भावना को समाप्त करना और शैक्षिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना और विकास हेतु अग्रसर करना. |
| 4. | बालक वृद्ध एवं महिला कल्याण के लिए राज्य तथा केंद्र सरकारों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अतर्गत दी जा रही सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध कराना और परिवार कल्याण नियोजन की जानकारी प्रदान करना. |
| 5. | अनुसूचित जाती, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग व निर्धन शहरी एवं ग्रामीण युवकों, महिलाओं को जागरूकता शिविर के माध्यम से आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण देना समाज में निरक्षरता उन्मूलन हेतु महिलाओं, पुरुषों एवं कामकाजी बच्चों के लिए रात्रि पाठशाला तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करना एवं राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन करना. |
| 6. | गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए कार्य करना एवं प्रचार प्रसार करना, जनसँख्या नियोजन का कार्यक्रमों एवं जनसँख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों का प्रचार प्रसार करना छोटे परिवार स्वस्थ परिवार की अवधारणा को समाज को समझाना, लोक स्वास्थ्य के समस्त कार्यक्रम संचालित करना, बालवाडी केंद्र, शिशु पालन केंद्र, आंगनवाडी, अनाथालय, वृद्धाश्रम का संचालन करना एवं राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन कराना. |
| 7. | कुष्ट रोग, पोलियो, चेचक, फ्लैग, एड्स एवं मलेरिया रोगियों की खोज कर उपचार एवं पुनरवास हेतु कार्य करना एवं महामारियों के उपचार हेतु टीकाकरण एवं शिविर आयोजित करना, नेत्रदान एवं रक्तदान हेतु प्रचार प्रसार कार्य करना, गन्दी बस्तियों में फैली संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए ग्रामीण एवं शहरी लोगों को जागरूक करना एवं निशुल्क दवायियां वितरित करना , फर्स्टएड के बारे में ट्रेनिंग कैंप चलाना एवं एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी व योगा के क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से एवं शिविर लगाकर जन जाग्रति लाना राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन कराना. |
| 8. | समस्त प्रकार की शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा (कॉलेज) विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा/सह चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, विकास एवं संचालन करना (शासन या संबंधित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कर) स्कूल गैर व्यवसायिक कॉलेज मदरसा की स्थापना करना एवं उन्हें सुचारु रूप से चलाना, शारीरिक शिक्षा खेल एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर प्रशिक्षण देना. राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा क्रियान्वयन कराना. |
| 9. | साहित्य संगीत अन्य समस्त ललित कलाओं को प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन प्रदान करना एवं इनके सार्वजनिक प्रदर्शनों को आयोजित करना. |
| 10. | उपभोग्ताओं के हितों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों का प्रचार-प्रसार एवं उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में हरसंभव प्रयास करना. |
| 11. | गौसेवा के लिए गौशाला की स्थापना एवं संचालन करना तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु उपाय करना. |
| 12. | बालिकाओं एवं महिलाओं के सर्वागीण विकास के लिये कार्य करना. |
| | अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष |
| 13. | महिलाओ में आर्थिक स्वावलंबन की भावना जाग्रत करना उन्हें स्वरोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना. |

समिति का पंजीयन क्र. 10292
समिति का पंजीयन दि. 26/03/0
संशोधन नस्तीबद्ध का दि. 24/11/025
असि. रजिस्ट्रार

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज सागर संभाग सागर

Namrata Patel

Aarti

Renu Savita

| | |
|---|---|
| | अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं मानसिक उत्थान के लिए कार्य करना. |
| 15. | समाज में सभी वर्गों की शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु महाविद्यालय जैसे चिकित्सा महाविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, भोज महाविद्यालय, नर्सिंग स्कूल एवं महा विद्यालयों कम्प्यूटर आइ.टी.आई. केन्द्रों की स्थापना करना. |
| 16. | परिवार से महिलाओं को न्याय दिलाना तथा उनकी पुनर्वास व्यवस्था करना. |
| 17. | बाढ़, भूकम्प, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कोई आकस्मिक आपदाओं से प्रभावित लोगो की मदद करना एवं उनके लिए मदद एकत्रित करके उन तक पहुंचाना एवं उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करना. |
| 18. | मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयास करना एवं निशुल्क कानूनी सलाह महिलाओं पर अत्याचार का विरोध, कुरीतियों को रोकना, जागरुकता के प्रयास व प्रचार प्रसार से समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो. |
| 19. | वर्तमान समय में व्याप्त भीषण घटक बीमारियों कैंसर, टी.बी., एड्स (एच. आई. वी.) बीमारी की रोकथाम के बारे में जनमानस में जागरुकता लाना एवं इनसे बचने के सम्पूर्ण उपायों को जन जन तक पहुंचाना तथा शासन द्वारा इनकी रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करना व अपनी ओर से रोगियों को अनुदान प्रदान करना. |
| 20. | नशा मुक्ति एवं विकलांग, निशक्त जनों के कल्याण हेतु कार्य करना. |
| 21. | योग विद्या पीठों की स्थापना कर योग के माध्यम से जन समुदाय में व्याप्त विभिन्न विकारों /बीमारियों का निदान करना और योग शिविरों का आयोजन कर, जन समुदाय में अधिक से अधिक मात्रा में स्वास्थ्य सबंधी लाभ, आध्यात्मिक प्रयोजनों के माध्यम से प्रदान करना. |
| 22. | कन्या भ्रूण हत्या रोकने में मदद करना तथा समाज में बालक-बालिकयों के अंतर को खत्म करने का प्रयास करना. |
| 23. | संस्था द्वारा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उत्तम तकनीकी शिक्षा, श्रेष्ठ महाविद्यालयीन चिकित्सा शिक्षा, खेल उन्नयन शिक्षा, समस्त प्रबंधकीय शिक्षा, औपचारिकेत्तर शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं महाविद्यालय शिक्षा आदि से संबंधित गतिविधियों का संचालन एवं केन्द्रों का संचालन करना, इस हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी खान-पान संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण एवं केन्द्रों का संचालन करना |
| 24. | बालक-बालिकाओं के शारीरक विकास हेतु बाल व्यायाम केंद्र मानसिक विकास हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालय, चारित्रिक विकास, आत्म निर्भर बनाने हेतु बाल प्रयोग शालाएं, जिज्ञासु व बुद्दि के विकास हेतु बाल कोतुकालय जीवन के प्रति कला एवं आनंद की ब्रधि तथा कोमल भाव के विकास हेतु बाल तथा अभिनव केन्द्रों तथा आत्मनुशाशन के विकास हेतु बाल योगाभ्यास केंद्र आदि की स्थापना एवं संचालन करना. |
| 25. | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना व शिविर के माध्यम से निशुल्क दवाओं का वितरण करना. |
| 26. | परिवार कल्याण, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय के प्रति जागरुकता पैदा करना. |
| 27. | अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में होम्योपैथी, एलोपैथी चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा हेतु पैरामेडिकल महाविद्यालय का संचालन करना. |
| 28. | सिलाई, बुनाई, कढाई एवं पेंटिंग कक्षाओं का संचालन करना. |
| 29. | बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के संरक्षण व उसके उपयोग में तेजी लाना. |
| | अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष |

समिति का पंजीयन क्र. 10292
समिति का पंजीयन दिनांक 23/01/14
संशोधन तारीख दिनांक
24/11/15
असि. रजिस्ट्रार

Namrata Patel Aarti Renu Savita

| | |
|---|---|
| | नारी सशक्तिकरण एवं बाल विकास, कन्या भ्रूण सुरक्षा, नारी शिक्षा, नारी स्वास्थ्य एवं नारी को आर्थिक व सामाजिक स्तर पर दृढता प्रदान करने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ नारी तक पहुंचाना एवं नारी शिक्षा तथा रोजगार हेतु योजनाएं बनाकर उन पर कार्य करना एवं बालविकास से जुड़े हुए मुद्दे, जिनमें शिशु मृत्यु दर, शिशु स्वास्थ्य, बालश्रम, बालापराध जैसे ज्वलंत मुद्दों पर शासन का ध्यान आकर्षित करवाने हेतु कार्य करना एवं शासन की योजनाओं का लाभ सही जगह तक पहुंचाने में सहायता करना तथा शिशु एवं बालक बालिकाओं के कल्याणार्थ शैक्षणिक संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा एवं खेलों से सम्बंधित कार्यक्रम संचालित करना. |
| 31. | बाल मजदूरी व बाल अपराध के प्रति जनजागरण अभियान चलाना. |
| 32. | भूख निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देख-रेख और स्वच्छता का संवर्धन और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना; |
| 33. | शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषतः बालकों, स्त्रियों वयोवृद्धों अन्य रूप से समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाएं का संवर्धन; |
| 34. | लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन स्त्रियों और अनाथों के लिए गृहों और छात्रावासों का गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक केंद्रों का गठन और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना; |
| 35. | पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव-जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की क्वालिटी बनाए रखना |
| 36. | राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास; |
| 37. | सशस्त्र बलों के सेवानिवृत सैनिकों, योद्धाओं प्रभावी विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय; |
| 38. | गतिविधि खेल-कूद राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल-कूद और ओलंपिक खेल-कूदों के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण देना; |
| 39. | ग्रामीण विकास की परियोजनाएं |
| 40. | क्लीन गंगा, क्लीन नदियां, क्लीन तालाब, क्लीन नहरें; (स्वच्छ गंगा, नदियाँ, तालाब, नहरें) |
| 41. | गंदी बस्तियों का स्वच्छता से विकास |
| 42. | नदियों, तालाबों, नहरों के दोनो तरफ वृक्षारोपण |
| 43. | क्षेत्रीय वृक्षों के पार्क, जड़ी-बूटी की प्रजातियों को बचाना, पर्यावरण संतुलन को सुनिश्चित करना एवं उनका संरक्षण कर प्रचार-प्रसार कर जानकारी देना |
| 44. | वनों की देखरेख करना, वृक्षारोपण करना, पहाड़ों को बचाना, जल संरक्षण, कृषिभूमि उपजाउ बनाना, देशी बीज संरक्षण; |
| 45. | पॉलिथिन मुक्त भारत, स्वच्छता मिशन, कचरामुक्त भारत |
| 46. | ह्यूमन इम्यूनो-डिफीसिएन्सी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम और अन्य बीमरी से लडने की तैयारी; |
| 47. | वाटर हार्वेस्टिंग में लोगों को जागरूक करना व सोलर पैनल से लोगों को जागरूक करना |
| 5. | सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें:- |
| | (अ) संरक्षक सदस्यः संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 10000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा । |
| | (ब) आजीवन सदस्यः जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 5000 या अधिक देकर , वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 5000 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है। |
| | अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष |

समिति का पंजीयन क्र 10292
समिति का पंजीयन दि 26/03/2014
संशोधन नस्तीबद्ध का दि 24/11/2025

असि. रजिस्ट्रार

Namrata Patel

Arti

Renu Savita

(स) **साधारण सदस्यः** जो व्यक्ति रुपये 10 माह रुपये 120 प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा व साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है, जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों से छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशी देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

**सम्मानीय सदस्यः** संस्था की प्रबन्धकारीणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मनीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं , परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. **सदस्यता की प्राप्तिः** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक है लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यताः** संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः-
1. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
2. भारतीय नागरिक हो ।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो
4. सदचरित्र हो तथा मधपान न करता हो।

**समिति का पंजीयन क्र.** 10292
**समिति का पंजीयन दि.** 26/03/2014
**संशोधन नस्तीबद्ध क्र दि.** 24/11/2025

8. **सदस्यता की समाप्तिः** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः-
1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये गए अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग - पत्र देने पर और वह स्वीकार हो जाने पर।
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

असि. रजिस्ट्रार

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी। जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगेः-**
1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया है व रसीद नम्बर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

10. (अ) **साधारण सभाः-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा| यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) **प्रबन्धकारिणी सभाः** प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2

| अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष |
|---|---|---|
| Narmada Patel | Aarti | Renu Savita |

| | |
|---|---|
| | सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी ,जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।<br>**(स) विशेषः-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का ) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें, तो उनके दर्शाये विषय संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा। |
| **11.** | **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-**<br>(क). संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।<br>(ख). संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।<br>(ग). आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।<br>(घ). अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कि प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।<br>(च). संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।<br>(छ). बजट का अनुमोदन करना।<br>समिति का पंजीयन क्र. 10292<br>समिति का पंजीयन दि. 26/03/01<br>संशोधन नस्तीबद्ध का दि. 24/11/025<br>असि. रजिस्ट्रार |
| **12.** | **प्रबन्धकारिणी का गठनः-** नियम 5 (अ).(ब).(स) में दर्शाये गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्ट्रर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगाः-<br>(1) अध्यक्ष-1 ,(2) उपाध्यक्ष-1 , (3) सचिव- 1, (4) कोषाध्यक्ष-1, (5)संयुक्त सचिव - 1 , (6) सदस्य-2 |
| **13.** | **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :** प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय जब तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी परन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा। |
| **14.** | **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्यः-**<br>(अ). जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।<br>(ब). पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।<br>(स). समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल व अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।<br>(द). कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।<br>(ई). अन्य आवश्यक कार्य करना , जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये।<br>(च). संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी।<br>(छ). संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जावेगी। |
| **15.** | **अध्यक्ष के अधिकारः-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवाएगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा । |
| **16.** | **उपाध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा । |
| | अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष |

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज सागर संभाग सागर

Namrata Patel Aarti Renu Savita

| | |
|---|---|
| 17. | सचिव (मंत्री) के अधिकार-<br>(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।<br>(2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।<br>(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।<br>(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 10000 व्यय करने का अधिकार होगा। |
| 18. | **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा |
| 19. | **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना। |
| 20. | **बैंक खाता-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ओफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोपाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 10000 रहेंगे। |
| 21. | **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी। |
| 22. | **संशोधन -** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा. यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा. जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। |
| 23. | **विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी। |
| 24. | **सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी। |
| 25. | **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना -** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा। |
| 26. | **विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो यह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा। |
| | अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष |

समिति का पंजीयन क्र. 10292
समिति का पंजीयन दि. 26/03/014
संशोधन नस्तीबद्ध का दि. 29/11/024
असि. रजिस्ट्रार

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग सागर

Namrata Patel

Aarti

Renu Savita

28/11/25

अंकित आंजना
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ,
सागर संभाग, सागर

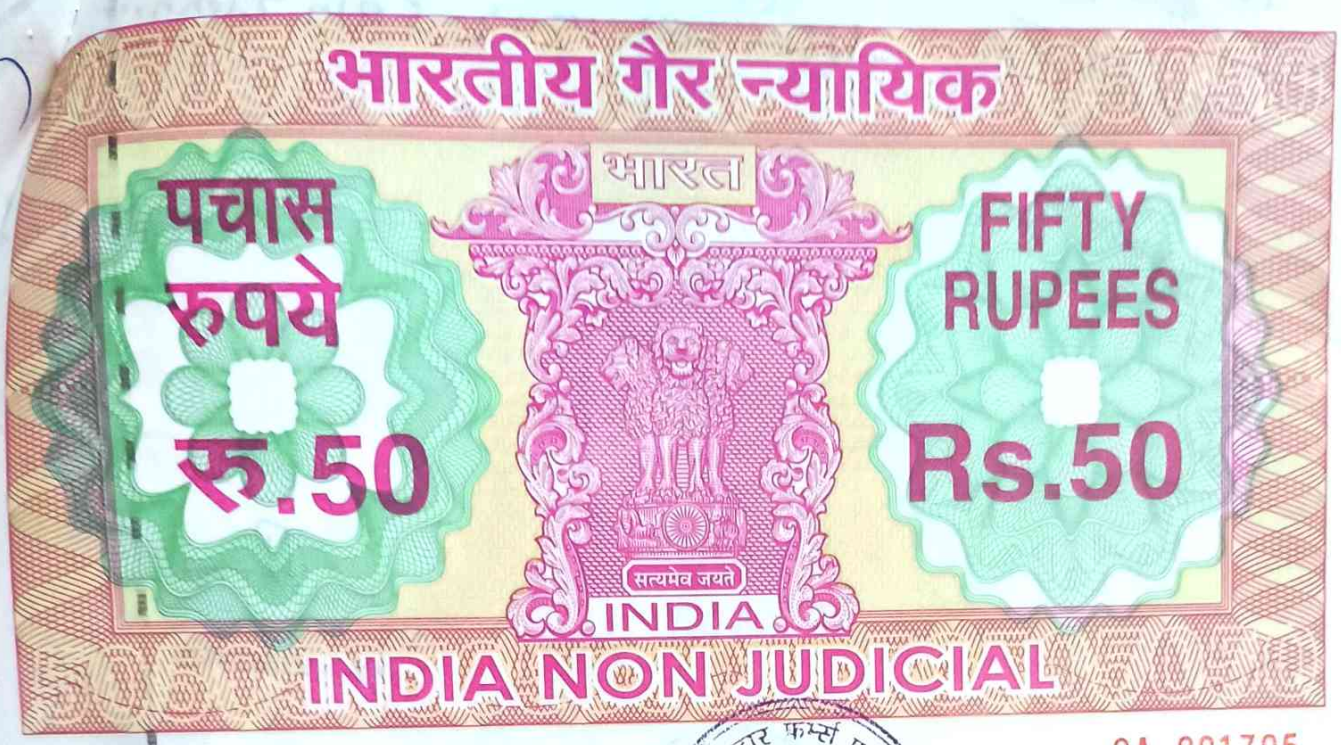


मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CA 001705




प्रमाणित प्रतिलिपि

संस्था का नाम Prathvi Path Foundation

संस्था का पता 91611 वार्ड नं. 22 इन्द्रा कालोनी पुलिस लाइन पहला के पास सिवना मध्यप्रदेश

पंजीयन क्रमांक 10292 दिनांक 26/3/2014

के ज्ञापन पत्र/नियमावली/प्रमाण पत्र/

की नकल के साथ यह स्टाम्प संलग्न है।

28/11/25

सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थाऐं, सागर संभाग सागर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CA 001704

अति. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज सागर संभाग सागर



प्रमाणित प्रतिलिपि

संस्था का नाम Prathvi Path Foundation

संस्था का पता 916/1 वार्ड नं. 22 इंद्रा कालोनी पुलिस लाइन पहला के पास जिला टीकमगढ़

पंजीयन क्रमांक 10292 दिनांक 26/3/2014

के ज्ञापन पत्र / नियमावली / प्रमाण पत्र /

की नकल के साथ यह स्टाम्प संलग्न है।

28/11/25

सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थाऐं, सागर संभाग सागर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CA 001706

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CA 001707

अति. रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसायटीज सागर संभाग सागर (म.प्र.)